रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265477
CG-DL-E-18082025-265477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2025/श्रावण 27, 1947
No. 511] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2025/SHRAVANA 27, 1947

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2025

### आय-कर

**सा.का.नि. 555(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 17 के खंड (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (बाइसवां संशोधन) नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2.आय-कर नियम, 1962 में नियम 3ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3ग. अधिनियम की धारा 17 के खड (2) के उपखंड (iii) की मद (ग) के प्रयोजनों के लिए वेतन आय-

अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (iii) की मद (ग) के प्रयोजनों के लिए "वेतन" शीर्ष के अधीन विहित आय चार लाख रूपए होगी।

3घ. अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के परंतुक के खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए सकल कुल आय-

अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के परंतुक के खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए विहित सकल कुल आय आठ लाख रूपए होंगी।"।

[अधिसूचना सं. 133/2025/फा. सं. 370142/27/2025-टीपीएल]

कृतिका जैन, अवर सचिव, कर नीति और विधान

**टिप्पण :** आयकर नियम, 1962 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्याक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 553(अ), तारीख 14 अगस्त, 2025 द्वारा किया गया ।